महत्वपूर्ण/तत्काल
संख्या–296/XXIV(1)/2011–45/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान/सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 07 अप्रैल,2011

विषयः– शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (i)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या–3883/02–आर0 टी0ई0 (नियमावली)/2010–11, दिनांक 03.03.2011 के क्रम मे, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(i)(C) में निहित दिशा निर्देशों के क्रम में अधिनियम की धारा 2 (d) तथा 2(e) में परिभाषित/अधिसूचित अपवंचित समूह (Disadvantaged group) एवं कमजोर वर्ग (Weaker sections) के बच्चों को अधिनियम की धारा 2 (n) के उपखण्ड (iii) एवं (iv) में वर्णित विद्यालयों में प्रथम कक्षा अथवा यदि उससे पूर्व की कक्षा संचालित हो रही हो तो उस कक्षा के कुल सीटों की 25 प्रतिशत की सीमा तक के सीटों पर प्रवेश दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 के लिये निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती हैः–

(1) विद्यालय हेतु पड़ोस (neighbourhood) की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो के वार्ड) को इकाई समझां जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा। शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना में यथा परिभाषित/अधिसूचित 2 (d) अपवंचित समूह (Disadvantaged group) तथा 2(e) कमजोर वर्ग (Weaker sections) हेतु सक्षम अथवा उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।

(2) अप्रैल माह के प्रथम पक्ष में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति को सन्दर्भित करते हुए सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों तथा निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों को उनकी कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षायें संचालित होने की दशा में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की

सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों की संख्या के संबंध में स्वघोषणा करने हेतु निर्देशित करेंगे। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 2 (d) तथा 2(e) में वर्णित बच्चों के माता–पिता को 15 मई, 2011 तक अपने वार्ड के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने हेतु सूचित करेंगे तथा यह भी उल्लेख करेंगे कि आवेदन पत्रों की एक–एक प्रति तथा सम्पूर्ण सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(3) माह मई के अन्तिम सप्ताह तक प्रत्येक संबंधित विद्यालय समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया अपनायेगा जिसमें बच्चों के माता–पिता के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे।

(4) इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के आर0टी0ई0 सेल से समन्वय स्थापित करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा समस्त जनपदों को निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।